

राजस्व अनुभाग-10

संख्या-11/0 / 1-10-2016-14(15)/2009

लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च 2016

कार्यालय-ज्ञाप

आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 की धारा-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की सहायता के लिये कार्यालय ज्ञाप संख्या-2825(1)/1-11-2008-11(पी)/ 2008, दिनांक 20.07.2008 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "राज्य कार्यकारिणी समिति" का निम्नवत् गठन किया गया था :-

|    |                                          |              |
|----|------------------------------------------|--------------|
| 1  | मुख्य सचिव                               | अध्यक्ष      |
| 2  | कृषि उत्पादन आयुक्त                      | सदस्य        |
| 3  | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग                 | सदस्य        |
| 4  | प्रमुख सचिव, गृह                         | सदस्य        |
| 5  | सचिव एवं राहत आयुक्त                     | सदस्य/संयोजक |
|    | विशेष आमंत्रित सदस्य                     |              |
| 1  | प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व                 | सदस्य        |
| 2  | प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा                  | सदस्य        |
| 3  | प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास              | सदस्य        |
| 4  | प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | सदस्य        |
| 5  | प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई                 | सदस्य        |
| 6  | प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि                   | सदस्य        |
| 7  | प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग       | सदस्य        |
| 8  | प्रमुख सचिव/सचिव, वन                     | सदस्य        |
| 9  | प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण               | सदस्य        |
| 10 | पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश            | सदस्य        |
| 11 | निदेशक, सुदूर संवेदन केन्द्र             | सदस्य        |

2- आपदा प्रबन्ध अधिनियम की धारा-48(1) के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा "राज्य आपदा मोचक निधि" का गठन किया गया है जिसका वित्त पोषण वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार के आदेश संख्या-33-5/2015- एन0डी0एम0-प्रथम, दिनांक 30.07.2015 के प्रस्तर-12 में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 की धारा-20 के अन्तर्गत गठित समिति को ही राज्य आपदा मोचक निधि के परिचालन, राहत कार्यों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समीक्षा तथा मार्ग दर्शन हेतु अधिकृत किया गया है।

3- अतः 11वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राजस्व अनुभाग-10 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2001 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति को निरस्त करते हुये आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 की धारा-20 के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप



संख्या-2825(1)/1-11-2008-11(पी)/2008, दिनांक 20.07.2008 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति को उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की सहायता हेतु एवं राज्य आपदा मोचक निधि के भी परिचालन, राहत कार्यों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समीक्षा तथा मार्ग दर्शन हेतु आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 की धारा-79 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

|    |                                          |              |
|----|------------------------------------------|--------------|
| 1  | मुख्य सचिव                               | अध्यक्ष      |
| 2  | कृषि उत्पादन आयुक्त                      | सदस्य        |
| 3  | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग                 | सदस्य        |
| 4  | प्रमुख सचिव, गृह                         | सदस्य        |
| 5  | सचिव एवं राहत आयुक्त                     | सदस्य/संयोजक |
|    | विशेष आमंत्रित सदस्य                     |              |
| 1  | प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व                 | सदस्य        |
| 2  | प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा                  | सदस्य        |
| 3  | प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास              | सदस्य        |
| 4  | प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | सदस्य        |
| 5  | प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई                 | सदस्य        |
| 6  | प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि                   | सदस्य        |
| 7  | प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग       | सदस्य        |
| 8  | प्रमुख सचिव/सचिव, वन                     | सदस्य        |
| 9  | प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण               | सदस्य        |
| 10 | प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद          | सदस्य        |
| 11 | प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण            | सदस्य        |
| 12 | प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास          | सदस्य        |
| 13 | प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन                  | सदस्य        |
| 14 | पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश            | सदस्य        |
| 15 | निदेशक, भारतीय मौसम विभाग                | सदस्य        |
| 16 | निदेशक, सुदूर संवेदन केन्द्र             | सदस्य        |

4- समिति की बैठकों का आयोजन, समिति के सदस्य/संयोजक द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

5- समिति को यह भी अधिकार होगा कि यह कार्यहित में आवश्यकतानुसार अपने कुछ अधिकार समिति के किसी एक सदस्य अथवा एक से अधिक सदस्यों की उप समिति को प्रतिनिहित कर दें।

6- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से सम्बन्धित ऐसे मामले जिसके लिये मात्र राज्य कार्यकारिणी समिति अधिकृत है, को राज्य आपदा मोचक निधि से तत्काल धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता हो और समिति की बैठक तत्काल बुलाना सम्भव न हो तो प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7- भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आलोक में राजस्व विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से सम्बन्धित कार्यों से समिति की समय-समय पर होने वाली बैठकों में अवगत कराते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

( सुरेश चन्द्रा )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-418 (1)/1-10-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
- 3- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 4- सचिव, गृह, वित्त तथा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
- 6- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, लखनऊ।
- 8- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )  
सचिव एवं राहत आयुक्त।